

## नई व्यापार नीति

यह एडिटरियल 05/05/2022 को 'हृद्दि बज़िनेसलाइन' में प्रकाशित "All Eyes on the New Trade Policy" लेख पर आधारित है। इसमें भारत की वर्तमान वदेश व्यापार नीति में नहिति चुनौतियों और आवश्यक उपायों के बारे में चर्चा की गई है।

### संदर्भ

वर्तित वर्ष 2021-22 भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिये एक उत्साहजनक स्थिति के साथ पूर्ण हुआ। भारतीय नरियात ने न केवल कोवडि संकट को सहने और उससे उबर लेने के संकेत दिये, बल्कि 419.65 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड राजस्व के साथ मज़बूत वृद्धि भी दर्ज की, जसि नरियात में तेज़ पुनरुद्धार के लक्षण के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ संपन्न **मुक्त व्यापार समझौतों** (Free Trade Agreements- FTA) को भी नीति-निर्माताओं द्वारा भारतीय उद्यमियों के लिये व्यापक अवसरों के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि इन सभी उपलब्धियों के बावजूद इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिये कि भारत के लिये एक नई वदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy- FTP) अभी भी लंबे समय से प्रतीक्षित है। पछिली वदेश व्यापार नीति वर्ष 2015 में अधिसूचित की गई थी और एक नई नीति अप्रैल 2020 में पेश की जानी थी, लेकिन तब से इसे आगे की अवधि के लिये बार-बार टाला जा रहा है। हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, स्थानीय वनिरिमाण पर जोर और द्विपक्षीय व्यापार अभिसमयों पर एक दशा को देखते हुए एक नई नीति का लाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### वदेश व्यापार नीति का महत्त्व:

- वदेश व्यापार नीति भारत सरकार द्वारा जारी एक कानूनी दस्तावेज़ है, जो वदेश व्यापार (विकास और वनियमन) अधिनियम 1992 के तहत प्रवर्तनीय है।
- वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से पंचवर्षीय रूप से पुनरीक्षण और अधिसूचित वदेश व्यापार नीति सभी हतिधारकों के लिये मार्गदर्शक रही है।
- वदेश व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य लेन-देन और पारगमन लागत, समय को कम करके व्यापार को सुवधाजनक बनाना है।
- वदेश व्यापार नीति सीमा-पार व्यापार नियमों को निर्धारित करती है और प्रौद्योगिकी प्रवाह, अप्रत्यक्ष संपत्ति आदि जैसे कई सहवर्ती लेकिन महत्वपूर्ण नीतित्त्व चरों पर सरकार की स्थिति को उजागर करती है।

### वदेश व्यापार नीति का महत्त्व:

- वैश्विक स्तर पर भारत के रुख को स्पष्ट करना:** 'लोकल फॉर ग्लोबल' और PLI (Production Linked Incentive) योजनाओं जैसे प्रमुख कार्यक्रमों, भारत की नरियात प्रोत्साहन योजनाओं के विरुद्ध **वैश्व व्यापार संगठन** के नरिणय, विशेष आर्थिक कषेत्र (SEZ) योजना की अतदिय समीक्षा, भारत की नरियात टोकरी के भौगोलिक प्रोफाइल में परिवर्तन और FTAs के नहितिर्त्यों के संबंध में भारत की स्थिति और संरक्षण को स्पष्ट करना आवश्यक है।
- वर्ष 2019 में WTO के एक विवाद समाधान पैनल ने माना था कि FTP के तहत नरियात प्रोत्साहन (Export Incentives) भारत की WTO प्रतबिद्धता का उल्लंघन है।
- नरियात-उन्मुख व्यवसायों पर प्रभाव:** FTP के जीर्णोद्धार का एक अन्य कारण यह है कि कुछ नरियात-उन्मुख व्यवसाय वर्ष 2015 की नीति में कुछ तदर्थ, वरिधाभासी और गलत समय पर किये गए परिवर्तनों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
- वर्ष 2015 की FTP ने नरियात के अनुपात में प्रत्यक्षत: 'ड्यूटी-क्रेडिट स्क्रिप्स' (Duty-Credit Scrips- DCS) जारी कर नरियात को प्रोत्साहित किया था।
- इसके अलावा, सेवा प्रोत्साहन के लिये परिवर्तन को सितंबर 2021 में पूर्वव्यापी रूप से अधिसूचित किया गया था, जसि अप्रैल 2019 से लागू किया जाना था।
- परविषय और प्रोत्साहन में कमी:** भारत से पण्य वस्तु नरियात योजना (MEIS) और भारत से सेवा नरियात योजना (SEIS) जैसे 51,012 करोड़ रुपए के वार्षिक नरियात प्रोत्साहनों को 12,454 करोड़ रुपए के RoDTEP योजना प्रोत्साहन के साथ प्रतस्थापित कर दिया गया है।
- शेष 38,558 करोड़ रुपए को कुछ कषेत्रों को लाभ प्रदान करने के लिये PLI की ओर मोड़ दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त पहले ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर 3% नरियात प्रोत्साहन प्रदान किया जाता था, जसि घटाकर 0.7% कर दिया गया है।

- **अवसंरचनात्मक असफलताएँ:** बंदरगाहों, गोदामों और आपूर्ति शृंखलाओं जैसी अपर्याप्त रूप से उन्नत नरियात अवसंरचनाओं के कारण भारत में जहाजों के लिये औसत 'टर्नअराउंड टाइम' लगभग तीन दिनों का है जबकि वैश्विक औसत 24 घंटे का है।
- **MSMEs का संकट:** सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 40% के योगदान के साथ MSMEs क्षेत्र महत्त्वाकांक्षी नरियात लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख अभिकर्ता हैं। लेकिन इनपुट और ईंधन लागतों में वृद्धि MSMEs के नचिले स्तर पर स्थिति उदयों को प्रभावित कर रही है।
- इसपात और प्लास्टिक जैसे कच्चे मालों की कीमतों में वृद्धि के साथ ही शपिंग कंटेनरों और श्रम की कमी के कारण MSMEs के लिये वैश्विक मांग में वृद्धि का पूरा लाभ उठा सकना कठिन होता जा रहा है।

## नई व्यापार नीति में संभावित संशोधन संबंधी सुझाव

- **MSMEs संकट का समाधान करना:** भारत में SEIS के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के सेवा नरियातकों को शुद्ध वदेशी मुद्रा आय का 3-7% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- नई नीति में योजना के तहत दावा योग्य शुद्ध वदेशी मुद्रा आय के लिये न्यूनतम सीमा में संशोधन और वैश्विक सेवाओं के लिये द्रुतजीएसटी रफिंड सुविधा का होना बेहद आवश्यक है।
- सरकार को MSMEs की मौजूदा टैरिफ लाइनों में नरियात क्षमता का दोहन करने में भी मदद करनी चाहिये और नरियातक MSMEs की संख्या बढ़ाने के लिये तथा वर्ष 2022-23 में MSME नरियात को 50% तक बढ़ाने के लिये नीतितगत सहायता प्रदान करनी चाहिये।
- **नरियातकों के लिये अधिक प्रोत्साहन:** नई FTP से नरियातकों को लाभ हो सकता है यदि MSME श्रेणी के दायरे में खुदरा और थोक व्यापारियों को मिलने वाले प्रोत्साहन उन्हें भी दिया जाए।
- नई नीति को नरियातकों को इस दृष्टिकोण से सक्षम बनाना चाहिये कि वे वदेशी व्यापार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें। यह MSMEs के लिये अपने वैश्विक समकक्षों के साथ प्रतस्पर्धा कर सकने में विशेष रूप से मदद करेगा।
- **अवसंरचना उन्नयन:** गोदामों, बंदरगाहों, SEZs, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रमाणन केंद्र आदि के रूप में एक कुशल और व्यापक अवसंरचना नेटवर्क अत्यधिक प्रतस्पर्धी बाजार में नरियातकों को टिके रहने में सहायता देगा।
- भारत को चीन जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत देशों से आगे बढ़ने के लिये नरियात अवसंरचना के उन्नयन में निवेश करने की आवश्यकता है।
- इसे आधुनिक व्यापार अभ्यासों को अपनाने की भी आवश्यकता है जिन्हें नरियात प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से लागू किया जा सके। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।
- **GST नरियात लाभ:** GST के अंतर्गत नरियात लाभ वर्तमान में FTP के दायरे से बाहर है, जिसके परिणामस्वरूप नरियातकों के कुछ वर्गों को नरियात लाभ से वंचित कर दिया गया है।
- इस परिदृश्य में दोनों नीतियों के बीच की खाई को पाटने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा बना प्रशासनिक देरी के जीएसटी रफिंड का नरिबाध वितरण भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **वश्व व्यापार संगठन की नीतियों का अनुपालन करने वाली योजनाएँ:** यह दृष्टिकोण FTP के मूल में है। वश्व व्यापार संगठन सरकारों को अपने नरियातकों को भारी सब्सिडी देने से रोकने की दशा में कार्य करता है ताकि सभी देशों को एक समान अवसर मिल सके।
- भारत सरकार वश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के भीतर बने रहने की आवश्यकता से अच्छी तरह अवगत है और उसने सब्सिडीयुक्त योजनाओं को वापस लेने के लिये पहले ही कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं।
- हालाँकि नरियात को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि वैश्विक बाजार में भारतीय नरियात प्रतस्पर्धी बने रहें, बुनियादी स्तर पर और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- **अन्य उपाय:** नीति-निर्माताओं को सभी हतिधारकों के साथ संलग्न होने के लिये विचार-परिधि का तत्काल विस्तार करना चाहिये ताकि एक सचेत रूप से तैयार और नरिदेशित नीति दृष्टिकोण सामने आ सके, जो देश की आर्थिक प्रगति के लिये केंद्र और नजी व्यवसायों दोनों का मार्गदर्शन करे।
- इस विचार-परिधि में ईंधन-आयात प्रतस्स्थापन की प्रखर आवश्यकता, तात्कालिक लॉजिस्टिक्स का लाभ उठाने और उद्यमशीलता अभियान को बढ़ावा देने जैसे समकालीन प्रतमिनों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाई को देखते हुए नई वदेशी व्यापार नीति को नरियात बाधाओं को दूर करने के लिये चरणबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, पारगमन लागत को कम करने के लिये नयामक एवं परिचालन ढाँचे की समीक्षा करनी होगी और वकिसति लॉजिस्टिक्स एवं उपयोगिता अवसंरचना के माध्यम से नमिन लागतपूर्ण परिचालन वातावरण का सृजन करना होगा।

**अभ्यास प्रश्न:** "नरियात देश के सकल घरेलू उत्पाद का महत्त्वपूर्ण अंग है और वदेशी व्यापार को पर्याप्त महत्त्व एवं निवेश सहयोग दिया जाना चाहिये। आगामी वदेश व्यापार नीति को यह सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय कदम उठाने चाहिये कि भारतीय कंपनियों के लिये नरियात संवहनीय हो और वश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप हो।" चर्चा कीजिये।